कार्यालय वनमण्डल अधिकारी,
खण्डवा उत्पादन वनमण्डल (म.प्र.)

दूरभाष क्रमांक 0733—2223221, ईमेलKhandwap@mpforest.org

मध्यप्रदेश वन विभाग
150 वर्ष

क्रमांक / स्टोर / 4109 खण्डवा, दिनांक 28/4/25

"ई—निविदा सूचना"

उत्पादन वनमण्डल खण्डवा को प्राप्त नवीन एक शासकीय वाहन (ट्रक) में केबिन एवं डाला बॉडी निर्माण कार्य हेतु ई—निविदा प्रस्तावित की जाती है। विवरण निम्नानुसार है :—

कार्य का विवरण

क्र.	कार्य का विवरण	स्पेसिफिकेशन	अनुमानित मात्रा
1	Complete Installation of Cabin and Body on truck's chasis as per specification, Installation will include both material and labor costs.	1. Truck Model TATA LPT 1923BSVI 2. LPT 1923BSVI Cabin complele with steck Angle Jaal fabrication Wooden Back with 14 Gauge sheet with Balta cabin Intenor with seal wiring and paint. 3. Body with 65X5 Angle pole, 5X2 Channel, 5 mm Floor, Both side 30 Folding Dala with 12 Gauge sheet and 3, Channel Frame with Back Side wooden Dala feed with 50X5 Angle and Paint. All Material Should conform to BIS Standards.	आवश्यकतानुसार

ऊपर दी गयी समस्त सामग्री हेतु प्रदायकर्ताओं से ई—निविदा आमंत्रित की जाती है। ई—निविदा संबंधित समस्त जानकारी एवं दस्तावेज वेबसाईट **www.mptenders.gov.in** पर प्रकाशन दिनांक 29.04.2025 से दिनांक 13.05.2025 को समय 05.00 बजे तक देखी / प्राप्त की जा सकती है। निविदा में किसी प्रकार के संशोधन की जानकारी वेबसाईट पर दी जावेगी। निविदा का अनुमानित राशि मूल्य लगभग रूपये 4,50,000 / — है।

क्र0	विवरण	दिनांक
1	Published Date	29/04/2025
2	Document Download/ Sale Start Date	29/04/2025
4	Bid Submission Start Date	29/04/2025
5	Bid Submission Closing Date	13.05.2025
6	Bid Opening Date	15/05/2025

वनमण्डलाधिकारी
उत्पादन वनमण्डल खण्डवा

C:\Users\ADMIN\Desktop\Turck BOdy 2025.doc

निविदा की शर्तें

1. निविदा केवल ऑनलाईन के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। प्रपत्र का मूल्य रूपये 2000/– वापिस योग्य नहीं है तथा जमा करने की पावती अपलोड करना अनिवार्य होगा।

2. ट्रक डाला बॉडी और केबिन निर्माण हेतु ई.एम.डी. की राशि निम्नानुसार होगी। उक्त ई.एम.डी. राशि वनमण्डलाधिकारी उत्पादन वनमण्डल खण्डवा के नाम से ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा।

क्र0	विवरण	ई.एम.डी. की राशि
1.	Complete Installation of Cabin and Body on truck's chasis as per specification.	50000/–

3. निविदा में एक से अधिक निविदाकारों की न्यूनतम दरें समान होने की स्थिति में अनुभवी निविदाकार को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

4. निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता वित्तीय वर्ष 2025–26 रहेगी जो सफल निविदाकार और वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल, खण्डवा उत्पादन के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।

5. सफल निविदाकार को 50000/– रूपये की राशि का एफ.डी.आर. जो किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक से जारी की गयी हो एवं वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल खण्डवा उत्पादन के नाम से हो, जमा करना अनिवार्य होगा।

6. निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्टेड/दिवालिया नहीं होना चाहिए। इस बावत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो रूपये 100/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर अपलोड करें। (निविदा में दिये गये प्रारूप अनुसार आदेश लगाना है)

7. निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेजों की स्केन प्रति जिस पर फर्म की सील सहित हस्ताक्षर होने चाहिये निविदा के साथ अपलोड करें।
   क– GST रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करें।
   ख– फर्म का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
   ग– आधार कार्ड की छायाप्रति।
   घ– PAN कार्ड की छायाप्रति।

8. चाहे गये सर्टिफिकेट टेण्डर जारी होने के पूर्व के हो।

9. प्रदाय की जाने वाली मात्रा अनुमानित है, इसमे घट–बढ़ हो सकती है, जिसके लिए निविदाकार द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली जावेगी। भुगतान सामग्री की वास्तविक प्राप्त मात्रा के आधार पर किया जावेगा।

10. सफल निविदाकर्ता को वन विभाग, उत्पादन वनमण्डल खण्डवा म.प्र. के साथ एक अनुबंध पत्र हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध की शर्तो के उल्लंघन पर सुरक्षा निधि राशि को जप्त की जावेगी। सुरक्षा निधि की राशि 50000/–पृथक से देय होगी। सफल निविदाकार द्वारा डी.डी. के माध्यम से वनमण्डल अधिकारी उत्पादन वनमण्डल खण्डवा के नाम से अनुबंध करते वक्त जमा की जावेगी।

11. कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

12. सामग्री की गुणवत्ता हेतु, मापदण्ड ISI MARK/LUN द्वारा निर्धारित मापदडों के अनुरुप होनी चाहिए।

13. नवीन शासकीय ट्रकों का बॉडी पार्टस, केबिन आदि का निर्माण कार्य संतोषजनक न होने या सफल निविदाकर्ता द्वारा शर्तो का पालन नहीं करने की स्थिति में सफल निविदाकर्ता का आदेश उत्पादन वनमण्डल खण्डवा म.प्र. द्वारा निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर राशि जप्त की जावेगी। इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी बसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जावेगी। ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार वनमण्डलाधिकारी उत्पादन वनमण्डल खण्डवा म.प्र. के पास सुरक्षित रहेगा।

14. निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर सकारण निरस्त करने का पूर्ण अधिकारी वनमण्डल अधिकारी खण्डवा उत्पादन के पास सुरक्षित होगा।

15. निविदाकार का मध्यप्रदेश अंतर्गत व्यवसायिक रूप से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।

16. वाहन का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पुनः 07 दिवस में कार्य पूर्ण करने हेतु नोटिस जारी किया जावेगा। उसके पश्चात भी आपके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में अन्य निविदाकार से क्रय समिति की अनुशंसा पर सफल निविदाकार एल.–1 की दर पर कार्य कराया जा सकेगा।

17. स्वीकृत/ अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गयी सत्यंकार की राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

18. निविदा में प्रेषित दरें निरीक्षण/टेस्ट व्यय एवं वर्तमान में प्रचलित समस्त कर सहित होगी।

19. वाहन अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मध्यप्रदेश अंतर्गत आपके Workshop में कार्य हेतु प्रदाय किया जायेगा। कार्य उपरांत अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आपसे प्राप्त किया जायेगा। अतः वाहन के परिवहन पर व्यय होने वाली राशि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वहन की जायेगी।

20. वनमण्डल अधिकारी एवं उनके अधिकृत अधिकारी आपने स्तर से भी सामग्री का परीक्षण करा सकते है, परीक्षण शुल्क की राशि संबंधित निविदाकार से वसूल की जावेगी।

21. निविदाकार को कार्य का भुगतान संबंधित उपवनमण्डल अधिकारी/डिपो अधिकारी/वाहन प्रभारी द्वारा कार्य के परीक्षण/सत्यापन उपरान्त किया जावेगा। सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा कार्य की गुणवत्ता आदि के संबंध में चाहे गये अभिलेख निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

22. भुगतान राशि से देय करों की कटौती की जावेगी।

23. सफल निविदाकार द्वारा इन शर्तो में से किसी का भी उल्लंघन करने पर या शासन को क्षति होने पर प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी तथा प्रदायकर्ता का नाम काली सूची में दर्ज करने एवं निविदा करारनामा समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी। ऐसी स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा किसी प्रकार राजनैतिक या अनैतिक दबाव नहीं डाला जावेगा।

24. निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर सकारण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी उत्पादन वनमण्डल खण्डवा के पास सुरक्षित रहेगा।

25. निविदा स्वीकृत दरें वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये मान्य होगी, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यदि आवश्यक समक्षा जावेगा तो निविदा की अवधि बढ़ायी जा सकेगी।

26. वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल खण्डवा उत्पादन (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई कारण बताये प्रस्ताव के लिए अनुरोध के लिए (आरएफपी) प्रकिया को समाप्त कर सकता है, निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबंधता नहीं करता है कि इस प्रकिया के परिणाम स्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है, इस प्रकिया में निविदाकर्ता निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है हालाकि, निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताये इस प्रकिया को समाप्त कर सकता है।

27. निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देशों और शर्ते की सावधानी पूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है ऐसा ना करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

28. दरें स्वीकृत होने पर स्पेसिफिकेशन अनुसार ही कार्य मान्य किया जायेगा।

29. क्रय आदेश आवयकतानुसार वनमण्डल अधिकारी/डिपो अधिकारी द्वारा आवश्यक मांग पत्र के आधार पर जारी किये जावेगे।

30. जहां भी लागू हो, सामग्री में शून्यता (टवपके) कटौती की जावेगी।

31 यदि निविदा की वैधता अवधि के भीतर यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत /अपलोड किये गय दस्तावेजों में से कोई या कुछ झूठे या धोखाधड़ी वाले है, तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है। जिसके बाद निविदाकार की सत्यंकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन प्रतिभूति (**Performance Guarantee**) जप्त की जा सकती है।

32. इस निविदा सूचना में जिन प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है, उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकारी वनमण्डल अधिकारी खण्डवा उत्पादन के पास होगा।

33. म.प्र. शासन/मुख्यालय द्वारा निविदा शर्तो अथवा निविदा अमान्य करने संबंध में आदेश/निर्देश जारी होने की दशा में निविदा अमान्य करने का पूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी उत्पादन वनमण्डल खण्डवा को होगा।

34. सामग्री की आवश्यकता हो दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रदाय आदेश स्वीकृत निविदाकर्ता के व्हाटसएप/ई-मेल पर प्रेषित किये जावेगें, जिन्हे निविदाकार को मान्य करना होगा।

35. निविदिाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्चे वहन करना होगा और इसके लिए सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जावेगा।

36. निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर वनमण्डलाधिकारी उत्पादन वनमण्डल खण्डवा म.प्र. का निर्णय अंतिम होगा।

37. निविदा विषयक विवाद में अंतिम निर्णय वनमण्डलाधिकारी उत्पादन वनमण्डल खण्डवा म.प्र. का होगा।

38. स्वीकृत दर वित्तीय वर्ष 2025–26 तक लागू रहेंगी तथा आगामी वर्ष में नवीन निविदा आमंत्रित होने तक स्वीकृत दर पर कार्य करना अनिवार्य होगा।

39. समस्त विवाद का न्यायालयीन क्षेत्र जिला न्यायालय खण्डवा रहेगा।

40. निविदाकर्ता या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी नमूना या स्वच्छिक रूप से चुन सकता है और उसे प्रयोगशाला में परीक्षण करवा सकता है। सामग्री का परीक्षण NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से किया जाएगा और परीक्षण शुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। यदि सामग्री की गुणवत्ता घटिया पाई जाती है, तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, निष्पादन सुरक्षा जब्त की जा सकती है और आपूर्तिकर्ता को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

41. उपरोक्तानुसार शर्त कमांक 01 से 40 तक की तक की किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) की राशि राजसात की जावेगी तथा संबंधित फर्म को दो वर्ष के लिए कालीसूँची में दर्ज किया जावेगा।

वनमण्डलाधिकारी
उत्पादन वनमण्डल खण्डवा

C:\Users\ADMIN\Desktop\Turck BOdy 2025.doc

प्रपत्र ए–1

निविदा प्रपत्र

(निविदाकार द्वारा भरा जाये)

प्रति ,

वनमण्डलाधिकारी
उत्पादन वनमण्डल
खण्डवा (म.प्र.)

विषय :– नवीन शासकीय वाहन (ट्रक) में केबिन एवं डाला बॉडी आदि निर्माण कार्य करने बावत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था की जानकारी निम्नानुसार है :–

1. फर्म का नाम :– ....
2. पत्र व्यवहार का पता :– ....

   ....
3. फर्म के प्रतिनिधि का नाम :–..
4. पदनाम :– ....
3. मोबाईल नंबर :– ....whatsapp no ....
4. ई–मेल आई.डी. :– ....

<u>प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा में दर्शित शर्तो के अनुसार उपयोगी ई–निविदा में दर्शित कार्य हेतु निविदा का कार्य पूर्णतः करने का अपनी सहमति प्रदान करते है।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

शपत्र–पत्र

(रूपये 100/– के गैर न्यायायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित)

मैं .... पिता .... पता...

प्रोपराईटर मेसर्स ....शपथ लेकर निम्नलिखित कथन करता/करती हूं कि :–

1. यह कि फर्म/प्रोपराईटर को किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम से कभी भी ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है।
2. यह कि फर्म का निविदा में दर्शित सामग्री के प्रदाय संबंधी कोई कानूनी विवाद में न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।
3. यह कि फर्म/प्रोपराईटर को कमी भी दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा निविदा के सभी शर्तो को पढ़ एवं समझ ली गयी है एवं शर्तो का पालन करने हेतु मैं वचनबद्ध हूँ।
5. यह कि निविदा में प्रस्तुत तथा शपथ पत्र में दी गयी जानकारियां असत्य पाये जाने पर मेरी निविदा को निरस्त करने तथा सुरक्षा निधि जप्त करने का अधिकार वनमण्डलाधिकारी दक्षिण उत्पादन वनमण्डल बालाघाट का होगा।

शपथ ग्रहिता

<u>सत्यापन</u>

मैं..शपथ ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूं कि मेरे द्वारा निष्पादित उक्त शपथ पत्र के बिन्दु क्रमांक 01 से 05 में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास अनुसार पूर्ण सत्य है।

शपथ ग्रहिता

c